राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 388/1995

राजस्थान राज्य

----अपीलकर्ता

बनाम

देवीलाल @ देवीदा एवं अन्य

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री बी.आर. बिश्नोई पीपी
प्रतिवादी(ओं) के लिए : कोई उपस्थित नहीं।
शिकायतकर्ता(ओं) के लिए: श्री आई.आर. चौधरी।

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

24/04/2024

प्रति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी,

1. राज्य द्वारा सीआरपीसी की धारा 378 के तहत यह आपराधिक अपील निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई है:

> "यह भी प्रार्थना की जाती है कि राज्य-अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया जाए, विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा पारित

दोषमुक्ति आदेश को निरस्त किया जाए तथा आरोपी-प्रतिवादियों को कानून के अनुसार दोषी ठहराया जाए और सजा दी जाए।

2. मामला वर्ष 1990 में घटित एक घटना से संबंधित है और वर्तमान अपील वर्ष 1995 से लंबित है।

3. इस तात्कालिक अपील के माध्यम से अपीलार्थी-राज्य ने सत्र प्रकरण 22/90 (राजस्थान राज्य बनाम देवीलाल @ देवीडा एवं अन्य) में विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा पारित दिनांक 31.03.1995 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत आरोपी प्रतिवादी-देवीलाल @ देवीडा, विरदाराम एवं केवलचंद को बरी कर दिया गया है तथा आरोपी-प्रतिवादी-मोतीराम एवं अन्नाराम को क्रमश: धारा 323 एवं 325 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान किया गया है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है, वे हैं कि परिवादी-निम्बाराम ने पुलिस थाना, पादुकलां, जिला नागौर के समक्ष दिनांक 18.03.1990 को मौखिक परिवाद (एक्स.पी/1) प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि लगभग शाम 7 बजे जब वह अपने घर में बैठा था, तभी आरोपी केवलचंद उसके घर आया और घर के बाहर से परिवादी को गाली देने लगा, जिस पर परिवादी अपने घर से बाहर आया और उक्त आरोपी को गाली देना बंद करने को कहा, जिस पर सह-आरोपी अन्नाराम व मोतीराम लाठियों के साथ आए और परिवादी व उसके पिता के साथ मारपीट करने लगे, इसके बाद परिवादी के पड़ोस से बाबूलाल व उसकी सास नर्बदा परिवादी को बचाने आए। लेकिन तब भी सह-आरोपी देवीलाल उर्फ देवीदा व बिरदाराम भी आरोपियों के साथ मिल गए और बाबूलाल व नर्बदा पर हमला कर दिया, आरोपी देवीलाल उर्फ देवीदा व बिरदाराम ने पत्थर उठाकर उन पर हमला कर दिया, जिससे नर्बदा की दाहिनी आंख पर चोट लग गई और वह गिर गई। इसके बाद पड़ोसी लादूराम, चूनाराम व उनके परिवार के लोग पीड़ितों को बचाने आए। परिवादी द्वारा दी गई उपरोक्त लिखित सूचना (एक्स.पी./1) के आधार पर पुलिस थाना पादुकला, नागौर में धारा 323 एवं 451 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दिनांक 18.03.1990 को एफआईआर (एक्स-पी./2) दर्ज की गई तथा तत्पश्चात जांच प्रारंभ की गई तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अगले दिन नर्बदा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद धारा 302 आईपीसी जोड़ी गई।

4.2. अभियुक्त-देवीलाल उर्फ देवीदा पर धारा 147, 323, 302 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया, अभियुक्त-अन्नाराम पर धारा 325 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया तथा अन्य अभियुक्त-मोतीराम, विरदाराम एवं केवलचंद पर धारा 147, 323 एवं 302/149 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए, जिन्हें अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया गया; अभियुक्तगण द्वारा इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया गया, तथा उचित सुनवाई की मांग की गई, और तदनुसार सुनवाई शुरू हुई, जो उसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हुई।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए तथा 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जबकि बचाव पक्ष के समर्थन में अभियुक्तगण ने कुल 3 गवाह तथा 8 दस्तावेज प्रस्तुत किए; तत्पश्चात अभियुक्तगण की धारा 313 सीआरपीसी के तहत जांच की गई, जिसमें उन्होंने निर्दोष होने तथा विचाराधीन आपराधिक मामले में उन्हें झूठा फंसाए जाने का दावा किया।

7. तत्पश्चात, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने 31.03.1995 को उपरोक्त विवादित निर्णय पारित किया, जिसके विरुद्ध राज्य की ओर से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2 और पी.डब्लू.3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एक दूसरे से मेल खाते हैं और वे अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्ण समर्थन करते हैं। विद्वान लोक अभियोजक ने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक-नर्बदा की मृत्यु, विचाराधीन घटना के दौरान अभियुक्त-प्रतिवादियों द्वारा पहुँचाई गई चोट के कारण हुई।

8.1. विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी प्रस्तुत किया कि सभी अभियुक्त प्रतिवादी मृतक-नर्बदा की हत्या करने के सामान्य इरादे से घटना स्थल पर लाठियों और पत्थरों के साथ आए थे, और उनकी संख्या पाँच थी, और इसलिए, यह एक गैरकानूनी सभा थी।

8.2. विद्वान लोक अभियोजक तथा परिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम

रहा है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि सभी अभियुक्त-प्रतिवादी मृतक-नर्बदा की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, तथा समान इरादे से प्रेरित होकर अन्य व्यक्तियों को भी चोट पहुंचाई।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

10. यह न्यायालय यह मानता है कि अपीलार्थी-राज्य ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.03.1995 को चुनौती दी है, जिसके तहत अभियुक्त प्रतिवादी-देवीलाल उर्फ देवीदा, विरदाराम तथा केवलचंद को दोषमुक्त कर दिया गया है तथा अभियुक्त-प्रतिवादी-मोतीराम तथा अन्नाराम को, यद्यपि क्रमशः धारा 323 तथा 325 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया गया।

11. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि एफआईआर में, विचाराधीन घटना का कारण नहीं बताया गया था तथा पी.डब्लू.-17-गालकू के कथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि सभी आरोपी प्रतिवादी घटना स्थल पर बिल्कुल एक ही समय पर नहीं पहुंचे थे; आरोपी-केवलचंद पहले पहुंचे तथा 10-15 मिनट बाद आरोपी-मोतीराम और अन्नाराम पहुंचे तथा उसके बाद आरोपी-देवीलाल उर्फ देवीदा और विरदा राम विचाराधीन घटना स्थल पर पहुंचे। यह न्यायालय यह भी मानता है कि विवाद पीड़ित के मवेशियों द्वारा आरोपी के खेत में नुकसान पहुंचाए जाने के कारण उत्पन्न हुआ था तथा आरोपी-केवलचंद उसी के संबंध में शिकायत करने के लिए निम्बाराम के घर आया था, जो कि मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है, तथा उक्त तथ्य को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दर्ज किया गया है।

12. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभियोक्त्री 6-सुगानी के कथनानुसार, केवल अभियुक्त-केवलचंद, मोतीराम और अन्नाराम ही घटना स्थल पर उपस्थित थे, जबकि अभियोक्त्री 7-सूरज ने कहा कि केवल मोतीराम, अन्नाराम और विरदा ही घटना स्थल पर उपस्थित थे; दोनों गवाहों ने प्रश्नगत अपराध के समय अभियुक्त-देवीलाल उर्फ देवीदा की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की। अतः, सुसंगत समय पर घटना स्थल पर अभियुक्तों में से एक की अनुपस्थिति में, यदि अभियुक्तों में से एक के लिए भी धारा 147 आईपीसी की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है, तो अन्य अभियुक्त धारा 147 आईपीसी के अंतर्गत नहीं आते, अतः, उन्हें अभियुक्त-देवीलाल उर्फ देवीदा के साथ दंडित नहीं किया जा सकता,

जिस पर धारा 302/149 आईपीसी के अंतर्गत आरोप लगाया गया था।

13. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभियुक्त-देवीलाल उर्फ देवीदा के विरुद्ध नर्बदा (मृतका) की दाहिनी आंख को चोट पहुंचाने और उसकी मृत्यु का कारण बनने के तथ्य के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं है। इस न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि अभियुक्तगण-देविला उर्फ देवीदा ने नर्बदा की दाहिनी आंख पर चोट मारी, लेकिन अभियुक्तगण-देविला उर्फ देवीदा ने नर्बदा की दाहिनी आंख पर चोट मारी, लेकिन अभियुक्तगण-12-डॉ. साहनी ने कहा कि मृतक के शरीर के निरीक्षण के अनुसार यह पाया गया कि बायीं आंख पर चोट लगी थी और यही बात चोट रिपोर्ट (एक्स.पी/20) में भी दर्ज की गई थी।

13.1. इस न्यायालय ने यह भी देखा कि मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले अभियुक्तगण-20-डॉ. जितेन्द्र चौधरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/20) के अनुसार मृतक की बायीं आंख पर चोट पाई थी। इसलिए अभियुक्तगण-1, अभियुक्तगण-2, अभियुक्तगण-3, अभियुक्तगण-4 और अभियुक्तगण-17 के बयानों में विरोधाभास पाया गया और उनके बयान पी.डब्लू.12 और अभियुक्तगण-20 के साथ-साथ चोट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाते।

14. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभि.सा. 15-लुण सिंह के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि उसने फर्द रिपोर्ट (EX.D/5) तैयार की थी, जिसमें नर्बदा (मृतका) के अंगूठे का निशान भी लिया गया था, तथा उक्त रिपोर्ट तथा अभि.सा. 15 के बयान के अनुसार, अभियुक्त मोतीराम ने मृतका की आंख में चोट पहुंचाई, जो प्रत्यक्षदर्शी तथा अन्य गवाहों के बयानों के बिल्कुल विपरीत है।

14.1. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभि.सा. 15 ने यह भी कहा कि नर्बदा (मृतका) के मृत्यु से पूर्व के बयान दर्ज किए गए थे तथा मृत्युपूर्व कथन (EX.P/40) में उसने कहा था कि चोट अभियुक्त देवीलाल उर्फ देवीदा द्वारा पहुंचाई गई थी। अभि.सा. 15 ने जिरह में स्वीकार किया कि मृतका ने विभिन्न व्यक्तियों के नाम लिए थे, तथा आंख में चोट पहुंचाने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं बताया, जो स्पष्ट विरोधाभास है तथा मृतका के बयानों में कोई स्पष्टता नहीं थी, जो अभियुक्त के पक्ष में संदेह का लाभ दिए जाने का भी हकदार है।

14.2. यह न्यायालय यह भी देखता है कि मृत्युपूर्व बयान दर्ज करते समय नर्बदा (मृतक)

बेहोश थी और यह बात पी.डब्लू.-2 निम्बाराम ने अपनी जिरह में स्वीकार की थी, और पी.डब्लू.12-डॉ. साहनी ने भी कहा कि चोट के निरीक्षण के समय मृतक बेहोश थी, और इसलिए वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थी और इस प्रकार एक्स.पी/40 संदिग्ध था और यह आरोपी प्रतिवादियों को विचाराधीन आरोपों के लिए दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय नहीं था।

15. यह न्यायालय आगे देखता है कि पी.डब्लू.1-बाबूलाल, पी.डब्लू.2-निम्बाराम और पी.डब्लू.17-गलकू के बयानों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आरोपी-विरदा ने बाबूलाल की पीठ पर चोट पहुंचाई, लेकिन पुलिस के समक्ष दर्ज बयानों में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था और रिपोर्ट (एक्स.पी/1) में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था, और चोट की रिपोर्ट (एक्स.पी/18) के अनुसार, उक्त चोट बाबूलाल की छाती पर लगी थी; लेकिन बयानों में कहा गया कि चोट बाबूलाल की पीठ पर लगी थी।

16. इस न्यायालय ने यह भी देखा कि अन्य अभियुक्त-केवलचंद ने निम्बाराम को मारा, ऐसा अभि.सा.17 द्वारा कहा गया था, लेकिन निम्बाराम ने स्वयं तथा अभि.सा.3 और अभि.सा.4 ने यह सत्यापित नहीं किया कि अभियुक्त केवलचंद ने उसे कोई चोट पहुंचाई थी।

17. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और वे अभियुक्तों-प्रतिवादियों को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। यह न्यायालय यह भी मानता है कि मृतक ने खुद भी अलग व्यक्ति का नाम लिया था, जिसने उसे चोट पहुंचाई थी; संपूर्ण साक्ष्य संदेह पैदा करते हैं और अभियुक्तों-प्रतिवादियों को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से विवादित निर्णय पारित किया था।

18. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभियुक्त मोतीराम को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत तथा अभियुक्त अन्नाराम को धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् यह उचित एवं न्यायसंगत पाया कि अभियुक्त प्रतिवादियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाए, जो कि दी गई परिस्थितियों में विधि

सम्मत है।

19. इस समय, यह न्यायालय मल्लप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1162/2011, दिनांक 12.02.2024 को निर्णीत) और बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (आपराधिक अपील संख्या 985/2010, दिनांक 19.04.2024 को निर्णीत) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रासंगिक अंशों को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझता है, जैसा कि नीचे दिया गया है-

<u>मल्लप्पा एवं अन्य **(सुप्रा):**</u>

> "36. हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र अनिवार्य रूप से इस वादे पर आधारित है कि किसी भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपराधिक कानून के सभी सुरक्षा उपाय और न्यायशास्त्रीय मूल्य न्याय की किसी भी विफलता को रोकने के लिए हैं। दोषमुक्ति से अपील का फैसला करते समय जो सिद्धांत काम आते हैं, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:
>
> (i) साक्ष्य की सराहना आपराधिक मुकदमे का मुख्य तत्व है और ऐसी सराहना व्यापक होनी चाहिए - जिसमें मौखिक या दस्तावेजी सभी साक्ष्य शामिल हों;
>
> (ii) साक्ष्य की आंशिक या चुनिंदा सराहना न्याय की विफलता का कारण बन सकती है और यह अपने आप में चुनौती का आधार है;
>
> (iii) यदि न्यायालय, साक्ष्य की सराहना के बाद पाता है कि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो सामान्यतः अभियुक्त के पक्ष में एक का पालन किया जाएगा;
>
> (iv) यदि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण कानूनी रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, तो विपरीत दृष्टिकोण की संभावना मात्र से दोषमुक्ति को उलटने का औचित्य नहीं होगा;
>
> (v) यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अपील में दोषमुक्ति के फैसले को पलटने के लिए इच्छुक है, तो उसे दोषमुक्ति के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सभी कारणों को विशेष रूप से संबोधित करना चाहिए और सभी तथ्यों को शामिल करना चाहिए;

(vi) दोषमुक्ति से दोषसिद्धि में उलटफेर के मामले में, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के निर्णय में अवैधता, विकृति या कानून या तथ्य की त्रुटि प्रदर्शित करनी चाहिए।

<u>बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर एवं अन्य **(सुप्रा):**</u>

38. इसके अलावा, एच.डी. सुंदरा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 9 एससीसी 581 के मामले में इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया: -

> "8.1. अभियुक्त को बरी किए जाने से निर्दोषता की धारणा और मजबूत होती है;
>
> 8.2. अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने का हकदार है;
>
> 8.3. अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करने के लिए अपेक्षित है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था;
>
> 8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर दोषमुक्ति के आदेश को पलट नहीं सकता कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था; तथा
>
> 8.5. अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हो गया था और कोई अन्य निष्कर्ष

संभव नहीं था।"

39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा निम्नलिखित सिद्धांतों के चारों कोनों के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए:-

(क) दोषमुक्ति का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत है**;**

(ख) यह रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य पर विचार करने में चूक**/**गलत व्याख्या पर आधारित है**;**

(ग) कोई दो उचित राय संभव नहीं हैं और केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के अपराध के अनुरूप राय ही संभव है।

19.1. यह न्यायालय राजस्थान राज्य बनाम शिव नारायण एवं अन्य (डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 250/1992, दिनांक 13.12.2022 को निर्णीत) के मामले में इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिक अंश को पुन: प्रस्तुत करना भी उचित समझता है, जो निम्नानुसार है:-

"योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह एवं अन्य में, जैसा कि एआईआर 2016 एससी 5160 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में चलने वाले सुनहरे धागों में से एक यह है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से दो दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध की ओर झुकाव रखता है और दूसरा अभियुक्त की निर्दोषता की ओर झुकाव रखता है, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। हाल ही में 28 जुलाई, 2022 को आपराधिक अपील संख्या 2119/2010 में राजस्थान राज्य बनाम किस्तूरा राम शीर्षक से पारित एक हालिया निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है, जब तक कि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव या विकृत न हो। यह माना गया कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो दोषमुक्ति के आदेश को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलीय न्यायालय का विचार है कि दोषसिद्धि अधिक संभावित है। बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव न हो। उपरोक्त टिप्पणियों के

प्रकाश में और बार में पेश की गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं दिखती है। अभियोजन पक्ष की कहानी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है और निजी बचाव के अधिकार के बारे में अभियुक्त की दलील उचित और स्वीकार करने योग्य पाई गई है।

20. यह न्यायालय यह भी देखता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपीगण देवीलाल उर्फ देवीडा, विरदाराम, केवलचंद को बरी करने तथा आरोपीगण मोतीराम और अन्नाराम को धारा 323 और 325 के अंतर्गत दोषसिद्धि के पश्चात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए उपरोक्त परिस्थितियों में कानून की नजर में न्यायोचित निर्णय पारित किया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में, विशेषकर श्रेणी VI में, निर्धारित कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार ट्रायल कोर्ट के निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा तभी उलट दिया जा सकता है, जब वह ऐसे निर्णय पर पहुंचने में अवैधता, विकृति या कानून या तथ्य की त्रुटि प्रदर्शित करता हो; लेकिन वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने, विवादित निर्णय पारित करने से पहले, प्रत्येक गवाह की काफी विस्तार से जांच की और उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत् विश्लेषण किया, साथ ही मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की भी जांच की, और इस प्रकार, विवादित निर्णय में कोई विकृति या विधि या तथ्य की त्रुटि नहीं है, जिससे कि इस न्यायालय द्वारा तत्काल अपील में कोई हस्तक्षेप किया जा सके।

21. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति आदेश में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है, और यदि विद्वान विचारण न्यायालय का विवादित निर्णय कानूनी रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, तो विपरीत दृष्टिकोण की संभावना मात्र से दोषमुक्ति के उलटने को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में कहा है, और इस प्रकार, इस आधार पर भी, विवादित निर्णय तत्काल अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।

22. इस प्रकार, उपर्युक्त टिप्पणियों के प्रकाश में तथा वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए तथा उपर्युक्त पूर्ववर्ती कानूनों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस मामले को इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का हकदार नहीं मानता है।

23. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

(मदन गोपाल व्यास**),** न्यायाधीश **(**डॉ**.**पुष्पेंद्र सिंह भाटी**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।